रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 57] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 29, 1971/चैत्र 8, 1893
No. 57] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 29, 1971/CHAITRA 8, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)
NOTIFICATION

New Delhi, the 26th March 1971

G.S.R. 463.—In exercise of the powers conferred by clause (2) of article 77, read with clause (1) of article 299, of the Constitution, the President is pleased to make the following rule, namely:—

All documents necessary to be executed for the implementation of the Agreements, entered into by the Government of the Republic of India with the Export-Import Bank of Japan and other participating Banks in Japan in connection with economic assistance from Japan to India, shall be executed and authenticated on behalf of the President by any of the officers specified below:

Secretary, Additional Secretary, Joint Secretary, Director, Deputy Secretary or Under Secretary to the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs;

Controller of Aid Accounts, Officer on Special Duty, Senior Accounts Officer or Accounts Officer in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs;

Ambassador of India in Japan, Charge d'Affaires of India in Japan, Counsellor, First Secretary or Second Secretary in the Embassy of India in Japan.

[No. 5(4)-WEII/71.]

By order and in the name of the President,
Y. T. SHAH, Jt. Secy.

वित्त मंत्रालय

(अर्थ विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मार्च, 1971

जी० एस० आर० 463.—संविधान के अनुच्छेद 299 के खण्ड (1) के साथ पठित अनुच्छेद 77 के खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति प्रसन्नतापूर्वक निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

जापान से भारत को मिलने वाली आर्थिक सहायता के सम्बन्ध में, जापान के निर्यात-आयात बैंक तथा जापान के भाग लेने वाले अन्य बैंकों के साथ भारत गणराज्य सरकार ने जो करार किए हों, उनको क्रियान्वित करने के लिए तैयार किए जाने वाले आवश्यक सभी दस्तावेजों को, राष्ट्रपति की ओर से, नीचे लिखे अधिकारियों में से, कोई भी अधिकारी, निष्पादित और अधिप्रमाणित कर सकेगा :—

भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अर्थ विभाग के सचिव, अतिरिक्त सचिव, संयुक्त सचिव, निदेशक, उप सचिव अथवा अवर सचिव;

वित्त मंत्रालय, अर्थ विभाग में, सहायता-लेखा नियंत्रक, विशेष कार्यभारी अधिकारी, वरिष्ठ लेखा अधिकारी अथवा लेखा अधिकारी ;

जापान स्थित भारतीय राजदूत, जापान स्थित भारतीय कार्यदूत, जापान स्थित भारतीय राजदूतावास के वाणिज्य-दूत, (कौंसलर) प्रथम सचिव अथवा द्वितीय सचिव ।

[सं० 5(4)—डब्ल्यू ई—II/71]

राष्ट्रपति के आदेश द्वारा और उनके नाम में,

वाई० टी० शाह, संयक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971